संख्या– 435/XXVII(1)/2014

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1

देहरादून, दिनांक: 01 अप्रैल, 2014

विषय :–माह मार्च एवं अप्रैल, 2014 के वेतन आहरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या– 318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में हेतु स्वीकृत आय–व्ययक की धनराशि प्रशासकीय विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर इस आशय से रखी गयी है कि वचनबद्ध मदों की धनराशि 31 मार्च, 2014 तक आहरण–वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रख दी जाय, जिससे माह मार्च, 2014 के वेतन/पेंशन आहरण में कोई असुविधा न हो।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मार्च, 2014 का वेतन जो अप्रैल, 2014 में देय है तथा अप्रैल, 2014 के वेतन, पेंशन/सेवानिवृत्तिक लाभ का आहरण कोषागारों द्वारा बजट में दर्शाये गये सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत बजट आवंटन की प्रत्याशा में आवंटित कर दिया जाय। सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी तत्काल सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी से वित्तीय वर्ष 2014–15 की अवधि हेतु वास्तविक आवश्यकतानुसार बजट प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे वेतन आदि सहित विभिन्न वचनबद्ध मदों में समय से भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। नियमित बजट जारी होने पर आहरित धनराशि समायोजित कर ली जाय।

1152/Sec|14–
ASCPJ (PM)
All ASC
01/4/14
(P/S)

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव